



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

म.बी.बि. हवाई अड्डा, अगरतला – 799009 इंजीनियरिंग विद्युत प्रभाग

संख्या:एएआई/एजीटी/इंजी(ई)/ईएनआईटी-07/एमसी-फायर/2025-26/No. दिनांक:07.03.2026

ई-टेंडर के लिए सूचना (2 BOT - 2 लिफाफे वाला खुला टेंडर)

(GeM बिड नंबर: GEM/2026/B/7331476)

1. भाविप्रा (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) के अध्यक्ष की ओर से "सहायक महाप्रबंधक (अभि-विद्युत), एमबीबी, अगरतला" (बिड मैनेजर) द्वारा ई-टेंडरिंग जीईएम पोर्टल के माध्यम से पात्र ठेकेदारों से "एमबीबी हवाईअड्डा,, अगरतला में पुराने टर्मिनल बिल्डिंग, एटीएस बिल्डिंग और एनएवी-एआईडी इंस्टॉलेशन के फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस (2026-28)" के काम के लिए आइटम रेट ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं।" इसकी अनुमानित लागत 64,90,717/- रुपये [जीएसटी सहित] है और इसे 24 (चौबीस) महीनों में पूरा किया जाएगा।

बिडिंग प्रोसेस GeM पोर्टल URL एड्रेस <https://gem.gov.in> पर ऑनलाइन है। जो टेंडर देने वाले हैं, वे टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो बिड करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे GeM पोर्टल पर ई-टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में जान लें, जिसके लिए 'यूजरआईडी' और 'पासवर्ड' पाने के लिए GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

GeM पोर्टल के काम करने के बारे में किसी भी तकनीकी मदद के लिए, बिडर नीचे दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर सभी वर्किंग डेज़ में सुबह 09.00 बजे से रात 11.00 बजे के बीच (सोमवार-शनिवार) संपर्क कर सकते हैं - 1800-419-3436 /1800-102-3436, 07556681401, 07556685120, 01169095625, ई-मेल: - helpdeskgem@gov.in.

टेंडर डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव या सुधार सिर्फ GeM पोर्टल पर ही पोस्ट किया जाएगा। क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस GeM पोर्टल पर ऑनलाइन है, इसलिए यह बिडर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे GeM पोर्टल पर ऑनलाइन बिड सबमिट करने से पहले GeM पोर्टल पर किसी भी बदलाव / सुधार को चेक कर लें।

बिडर्स को अपनी बिड्स तय तारीख और समय पर सिर्फ ऑनलाइन GeM पोर्टल <http://gem.gov.in> के ज़रिए जमा करनी होंगी। टेंडर किसी और रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। GeM पोर्टल प्रोक्योरमेंट सिस्टम बिडर्स को तय तारीख और समय के बाद अपना टेंडर जमा करने की इजाज़त नहीं देगा।

₹1,94,722/- का अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) किसी भी बैंक ब्रांच में नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/बैंक डिपॉज़िट के ज़रिए ऑनलाइन नीचे दी गई बैंक डिटेल्स में जमा देना होगा:-

हितग्राही का नाम	भारतीय विमानपतन प्राधिकरण
खाता नंबर	33904836738
आईएफएससी कोड	SBIN0005559
बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम	TLA HOUSE BRANCH

इस बारे में कोई डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी / FDR स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिडर्स द्वारा जमा किया गया EMD, सफल बिडर को छोड़कर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सभी के बैंक अकाउंट में सीधे रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड के लिए NIT में बताए अनुसार कैंसल चेक की स्कैन की हुई कॉपी या बैंक डिटेल्स की स्कैन की हुई साइन की हुई कॉपी जमा करनी होगी।

2. टेंडर देने वाले को नीचे दिए गए सारणी के हिसाब से GeM पोर्टल पर ऑनलाइन 02 लिफाफे जमा करने होंगे: -

महत्वपूर्ण डेटा शीट

क्रम संख्या	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1.	प्रकाशन तिथि	07.03.2026 2000 बजे से.
2.	बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड / सेल शुरू होने की तारीख	07.03.2026 2000 बजे से.
3.	बोली जमा करने की आरंभ तिथि	07.03.2026 2000 बजे से.
4.	बोली-पूर्व सम्मेलन और साइट का दौरा	13.03.2026 को 1000 बजे.
5.	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	28.03.2026 को 1900 बजे तक।
6.	बोली खोलना (लिफाफा-I)	30.03.2026 को 1100 बजे.
7.	बोली खोलना (लिफाफा-II)	बाद में GeM पोर्टल के ज़रिए बताया जाएगा।

नोट: अगर बिडर को काम के बिड डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई सवाल है, तो उन्हें सिर्फ GeM पोर्टल पर ही 'स्पष्टीकरण' मांगना होगा। इस बारे में बातचीत का कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

लिफाफा-I (तकनीकी बिड और प्रारम्भिक योग्यता निर्धारण) - बिड में ये चीज़ें होंगी:

अ) तकनीकी बिड जिसमें ये चीज़ें हों:

- क. "अनुलग्नक-A" के अनुसार सभी ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स PQ परफॉर्मा के साथ सही तरीके से भरा हुआ होना चाहिए।
- ख. EMD राशि के पेमेंट के प्रूफ की स्कैन्ड कॉपी।
- ग. बिडर के वैलिड इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की स्कैन्ड कॉपी।
- घ. वैलिड EPF और ESIC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी।
- ङ. परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और GST रजिस्ट्रेशन नंबर की स्कैन्ड कॉपी।

- ज. "अनुलग्नक -D" के तहत दिए गए फॉर्मेट में कंपनी के लेटर हेड पर GST अंडरटेकिंग की स्कैन कॉपी।
- झ. फॉर्म-ए की स्कैन की हुई प्रति - पिछले सात वर्षों के दौरान पूरे किए गए समान कार्यों का विवरण, जो कि "अनुलग्नक-ई" के तहत दिए गए प्रारूप के अनुसार ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ समर्थित है।
- ञ. फॉर्म-बी की स्कैन की गई प्रति - वित्तीय जानकारी, जैसा कि "अनुलग्नक-एफ" में दिए गए प्रारूप में है।
- ट. फॉर्म-सी - नेट वर्थ का स्कैन किया हुआ दस्तावेज़, जैसा कि "अनुलग्नक-जी" के प्रारूप में दिया गया है।
- ठ. "अनुलग्नक-एच" में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के संबंध में 'वचनपत्र' की स्कैन की गई प्रति।
- ड. "अनुलग्नक-I" के तहत दिए गए प्रारूप के अनुसार बोलीदाता के लेटर हेड पर ईपीएफ / ईएसआई पंजीकरण के लिए वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- ढ. "अनुलग्नक -J" के अंतर्गत दिए गए प्रारूप के अनुसार, बोलीदाता के लेटर हेड पर 'Make in India Order 2017' के लिए दिए गए वचनपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- ण. बोलीदाता द्वारा, सामान्य वित्तीय नियम (GFRs)-2017 के नियम 144(xi) के अंतर्गत प्रतिबंधों संबंधी आदेश के अनुपालन हेतु घोषणा का प्रपत्र, जैसा कि "अनुलग्नक LBS" में दिया गया है।
- त. बोली लगाने वाला कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की हुई कॉपी जमा करेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि मैं/हम, इंजीनियर-इन-चार्ज (E-I-C) से सलाह करके, काम की ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त प्लांट और मशीनरी लगाएंगे, ताकि "अनुलग्नक -K" के अनुसार तय समय सीमा के भीतर सभी पड़ावों/लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और काम को पूरी तरह से पूरा किया जा सके।
- थ. प्रोप्राइटरी फर्म के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की हुई प्रति, कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र की प्रति (जिसमें CIN/LLPIN/कंपनी के निदेशकों के नाम शामिल हों) और पावर ऑफ अटॉर्नी देने के अधिकार से संबंधित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति जमा करनी होगी।
- यदि निविदा पर प्रोप्राइटर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कार्रवाई करता है, तो प्रोप्राइटरी फर्म को केवल Authorization Letter/Power of Attorney की स्कैन की हुई प्रति जमा करनी होगी।

अ) ठेकेदारों / निविदाकर्ताओं के लिए आवश्यक योग्यताएं जिनमें ये शामिल हैं: -

- (क) पिछले सात वर्षों के दौरान (जो 28.02.2026 को समाप्त होते हैं - यानी जिस महीने में टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, उससे ठीक पिछले महीने का अंतिम दिन), आवेदक ने "समान प्रकृति के कार्य" (अर्थात् "फायर फाइटिंग / फायर अलार्म सिस्टम का संचालन और रखरखाव") के अंतर्गत, किसी एक ही अनुबंध के तहत, निम्नलिखित में से कोई एक शर्त सफलतापूर्वक पूरी की हो या काफी हद तक पूरी कर ली हो: तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 11,00,122/- रुपये (GST को छोड़कर) हो; या दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 13,75,152/- रुपये (GST को छोड़कर) हो; या एक कार्य, जिसका मूल्य 22,00,243/- रुपये (GST को छोड़कर) हो।

पिछले सात वर्षों के दौरान पूरे किए गए इसी तरह के कार्यों का विवरण, दिए गए प्रारूप प्रपत्र-A (अनुलग्नक -E) में, क्लाइंट द्वारा जारी किए गए सहायक दस्तावेजों के साथ।

टिप्पणी:

- 1) GST-पूर्व काल में पूरे किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण-पत्रों के संबंध में, पूर्णता राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (ताकि GST-पूर्व करों को हटाया जा सके) ताकि इसे GST-पश्चात काल के अनुभव प्रमाण-पत्रों के समकक्ष लाया जा सके, लेकिन इसमें GST शामिल नहीं होगा।

- 2) O&M/ AMC/ CMC कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंधों (Annual Rate Contracts) हेतु आमंत्रित निविदाओं के मामले में, जिस एजेंसी के पास एक वर्ष से अधिक अवधि के AMC अनुबंध को पूरा करने का अनुभव है, उसके अनुभव को गिना जाएगा; अथवा, पूरे किए गए एक वर्ष के कार्य के मूल्य को आनुपातिक आधार पर गिना जाएगा। तथापि, यदि किसी एजेंसी ने एक वर्ष से अधिक अवधि के किसी चालू AMC अनुबंध के अंतर्गत एक वर्ष का कार्य पूरा कर लिया है, तो उस पूरे किए गए एक वर्ष के कार्य के मूल्य को भी आनुपातिक आधार पर गिना जा सकता है।
- 3) निरंतर अनुबंध/उप-अनुबंध के आधार पर कार्य करने से प्राप्त अनुभव निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाएगा:

अ) काम असल में दूसरी एजेंसी (सब-कॉन्ट्रैक्टर) द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें मालिक की उचित सहमति हो-चाहे वह त्रिपक्षीय समझौते के रूप में हो या लिखित मंजूरी के रूप में। इसके साथ एक वैध समझौता और अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

आ) दूसरी एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान TDS प्रमाणपत्रों में दर्शाए जाने चाहिए।

- 4) विशेष प्रकार के कामों (Specialized Items / Jobs / Works) के लिए कम्पोजिट कामों में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उन्हें मुख्य ठेकेदार ने या तो अपनी आंतरिक विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर, या फिर अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुख्य क्लाइंट की मंजूरी लेकर विशेष एजेंसियों को काम सौंपकर पूरा किया। ऐसे मामलों में, मुख्य ठेकेदार और विशेष एजेंसी-दोनों को ही उसी काम के लिए अपने-अपने क्लाइंट से अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है; यानी, मुख्य ठेकेदार को कम्पोजिट काम (जिसमें विशेष काम भी शामिल हैं) के लिए मालिक (Owner) से, और विशेष एजेंसी को अपने विशेष काम के लिए मुख्य ठेकेदार से प्रमाण पत्र मिलता है।

इस स्थिति में, उस विशेष एजेंसी या मुख्य एजेंसी का अनुभव प्रमाण पत्र, जिसके पास आंतरिक विशेषज्ञता और अनुभव है और जिसने वास्तव में विशेष कार्य (कार्य) को अंजाम दिया है, समान विशेष प्रकृति के कार्य (कार्य) के लिए तकनीकी/पूर्व-योग्यता मानदंडों के लिए स्वीकार्य होगा।

- 5) काफी हद तक काम पूरा होना (Substantial completion) इस आधार पर माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत 80 (अस्सी) प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से) या उससे ज्यादा काम पूरा हो गया है। काफी हद तक काम पूरा होने को सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से पूरा होने के तौर पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि यह काम की उपयोगिता (functional consideration) पर आधारित होना चाहिए।

परियोजना/कार्य/संपत्ति के 'पर्याप्त समापन' के प्रमाण पत्र में दो भाग होने चाहिए। भाग I में 'किए गए कार्य का वित्तीय मूल्य और भाग-II में 'परियोजना/कार्य/संपत्ति के कार्यात्मक समापन का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

“निष्पादित कार्यों का मूल्य कार्य के वास्तविक मूल्य में 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना कार्य पूरा होने की तिथि से बोली खुलने की तिथि (कवर-1/तकनीकी बोली) तक की जाएगी।”

अनुभव के लिए क्लाइंट सर्टिफिकेट में किए गए काम का स्वरूप, काम का मूल्य, शुरू होने की तारीख, समझौते के अनुसार पूरा होने की तारीख, काम के वास्तव में पूरा होने की तारीख और काम के संतोषजनक ढंग से पूरा होने की जानकारी होनी चाहिए। जो टेंडरर गैर-सरकारी/गैर-PSU संगठनों से काम के अनुभव का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उन्हें 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ-साथ एक रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा; इस सर्टिफिकेट में काम का नाम, उस काम के बदले मिली कुल पेमेंट और उस काम के लिए TDS की रकम साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (जो पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होते हैं) निर्माण कार्यों से औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर 9,73,608/- रुपये होना चाहिए। वित्तीय जानकारी दिए गए प्रारूप - Form-B (अनुलग्नक-F) में जमा की जाएगी। जिन निविदाकर्ताओं की बैलेंस शीट में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटा दिखाया गया है, उनकी निविदाएं बिना किसी सुनवाई के सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

आवेदक ने पिछले पाँच (05) वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के दौरान (जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता हो) सामान्य निर्माण कार्य का न्यूनतम वार्षिक मूल्य प्राप्त किया हो (जैसा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो), और जिसमें से कम से कम 50 (पचास) प्रतिशत हिस्सा इंजीनियरिंग (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल, जैसा कि प्राप्त किए जा रहे कार्य के लिए प्रासंगिक हो) निर्माण कार्यों से प्राप्त हुआ हो; इस मूल्य की गणना, संबंधित अनुबंध पर अनुमानित वार्षिक निर्माण व्यय पर 2 का गुणक (multiplier) लगाकर की जाएगी उन परियोजनाओं के लिए जिनकी लागत 1500 करोड़ रुपये तक है और 1.5 का गुणक उन परियोजनाओं के लिए जिनकी लागत 1500 करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी निविदाकर्ता की न्यूनतम नेट वर्थ 4,12,546/- रुपये होनी आवश्यक है। प्रमाण पत्र को दिए गए प्रारूप फॉर्म-सी (अनुलग्नक-G) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*स्टार्ट-अप बोलीदाताओं और उप-ठेकेदारों के लिए, 30 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत वाले मरम्मत कार्यों के संबंध में, सामान्य निर्माण अनुभव, विशिष्ट निर्माण अनुभव और उपलब्ध बोली क्षमता से जुड़ी शर्तों पर जोर नहीं दिया जाएगा; बशर्ते कि बोलीदाता वित्तीय/कार्मिक/उपकरण क्षमताओं से जुड़े अन्य मानदंडों को पूरा करते हों। हालाँकि, उनके संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ने से बचने के लिए, ऐसे किसी भी ठेकेदार को किसी भी समय, इन शिथिल शर्तों के तहत 2 (दो) से अधिक अनुबंध रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लिफाफा-II: - GeM पोर्टल के माध्यम से वित्तीय ई-बोली।

सभी दरें दिए गए फॉर्मेट में ही बताई जानी चाहिए, और कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं होगा। यदि टेंडर दस्तावेज़ के साथ मूल्य बोली (Price Bid) के लिए एक मानक BOQ फॉर्मेट दिया गया है, तो सभी टेंडर देने वालों को उसे डाउनलोड करके भरना होगा। टेंडर देने वालों को BOQ फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा, और नीले रंग के (असुरक्षित) सेल्स में अपनी-अपनी वित्तीय दरें और अन्य विवरण (जैसे टेंडर देने वाले का नाम) भरने होंगे। किसी अन्य सेल में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरे हो जाने पर, टेंडर देने वाले को फ़ाइल का नाम बदले बिना उसे सेव करके ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि BOQ फ़ाइल में टेंडर देने वाले द्वारा कोई बदलाव पाया जाता है, तो बोली (Bid) अस्वीकार कर दी जाएगी।

बोली-पूर्व सम्मेलन

3. निविदाकर्ताओं या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों के लिए, MBB हवाई अड्डा अगरतला में एक प्री-बिड कॉन्फ्रेंस और साइट विज़िट "CRITICAL DATA SHEET" में दी गई तारीख को आयोजित की जाएगी ताकि कार्य, सेवाओं, संयंत्र, उपकरणों और मशीनरी आदि से संबंधित विशिष्टताओं/संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) और अन्य संबद्ध तकनीकी/वाणिज्यिक विवरणों के बारे में किसी भी मुद्दे को स्पष्ट किया जा सके और यदि कोई संदेह हो, तो उसे दूर किया जा सके।

4. EMD की वापसी

पुष्टि किए गए सबसे कम बोली लगाने वाले को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई EMD, वित्तीय बोली खोलने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की EMD, EMD राशि के बराबर सुरक्षा जमा या प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर लौटा दी जाएगी।

असफल/अस्वीकृत बोलियों की EMD वापसी हेतु, बोलीदाताओं को GeM पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

5. बोली प्रस्तुत करना:-

निविदाकर्ता अपना आवेदन केवल GeM पोर्टल <https://gem.gov.in> पर ही जमा करें। निविदाकर्ताओं को पैरा 2 के अनुसार स्कैन किए गए दस्तावेज़ों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फ़ाइल अपलोड करनी आवश्यक है। बोली दस्तावेज़ों को 100 dpi पर ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के

साथ स्कैन किया जा सकता है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ का आकार कम करने में मदद मिलती है।

निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं होगा। आवेदन की हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी।

6. एक निविदाकर्ता या व्यावसायिक संबंध रखने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में, पिता और उसके पुत्र (या पुत्रों) या अन्य करीबी संबंधियों, जिनके बीच व्यावसायिक संबंध हैं (अर्थात्, जब एक या अधिक भागीदार/निदेशक समान हों), को एक ही अनुबंध के लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धियों के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन दोनों पक्षों की निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा।
7. बोलीदाता जिसने सरकारी ई-मार्केट पोर्टल (GEM) वेबसाइट <https://gem.gov.in> से निविदा डाउनलोड की है, वह डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा प्रपत्र में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि यह किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधित पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से अस्वीकार कर दी जाएगी और EMD जब्त कर ली जाएगी और बोलीदाता भाविप्रा के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
8. बिड्स खोलने का प्रोसेस नीचे दिया गया है: -

लिफाफा-I: (तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता): -

लिफाफा- I जिसमें पैरा 2 (ए), (बी) और (सी) के अनुसार दस्तावेज़ हैं (निविदाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए) उन्हें महत्वपूर्ण डेटा शीट में उल्लिखित तारीख और समय पर खोला जाएगा।

यदि निविदाकर्ता द्वारा लिफाफा -I में अपलोड किए गए दस्तावेज़ों में कोई कमी पाई जाती है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उसे GeM पोर्टल या, यदि आवश्यक हो, तो ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा। निविदाकर्ता को भाविप्रा द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता के पास जमा करने के लिए कुछ नहीं है और बोली का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा।

बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना निविदाकर्ताओं को GeM पोर्टल द्वारा भेजी जाएगी।

लिफाफा-II (वित्तीय बोली):

तकनीकी मानदंडों और योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निविदाकर्ताओं के लिफाफा -II (वित्तीय बोली युक्त) को CRITICAL DATA SHEET में बताए गए दिनांक और समय पर खोला जाएगा। (यदि लिफाफा -II (वित्तीय बोली) खोलने के दिनांक और समय में परिवर्तन आवश्यक है, तो इसकी सूचना GeM पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी)।

9. भाविप्रा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भाविप्रा बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. भाविप्रा उन काम करने वाली एजेंसियों को काम करने से रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनका मौजूदा प्रोजेक्ट (प्रोजेक्टों) में प्रदर्शन उम्मीद से कम और आम तौर पर खराब रहा है, और जिन्हें भाविप्रा के किसी भी विभाग या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/PSU/विश्व बैंक/ADB वगैरह

द्वारा रोक/अस्थायी या स्थायी रोक/ब्लैक लिस्टिंग का पत्र जारी किया गया है। भाविप्रा किसी भी चरण में (काम सौंपे जाने से पहले या बाद में) टेंडर देने वाले द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी चरण में, आवेदक द्वारा जमा की गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत/झूठे पाए जाते हैं या उनमें कोई ऐसी विसंगति होती है जो टेंडर देने वाले को अयोग्य बनाती है, तो भाविप्रा निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

क. निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई EMD की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

ख. निविदाकर्ता को एएआई में निविदा देने से दो साल तक की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा, जिसमें किसी भी अन्य उचित संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई के अलावा अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।

11. कंसोर्टियम/जोड़ी कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. भारत सरकार के उस निर्देश के अनुसार, जो स्वीकृति की तिथि पर प्रभावी होगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद में वरीयता लागू होगी।
13. डीआईसी/एनएसआईसी/केवीआईसी/केवीआईबी/हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय आदि में पंजीकृत भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को दी जाने वाली रियायतें, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के प्रावधानों (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के अनुसार लागू होंगी। ये रियायतें आपूर्ति/सेवाओं के टेंडरों पर लागू होंगी और निर्माण कार्यों पर लागू नहीं होंगी।
14. निविदाकर्ताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार, सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित और यूडीआईएन युक्त दस्तावेज (जैसे वित्तीय जानकारी - लाभ/हानि सहित टर्नओवर, नेट वर्थ प्रमाणपत्र आदि) प्रस्तुत करने होंगे। बिना यूडीआईएन के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 लागू करता है, जो कार्यालय ज्ञापन संख्या P-45021/2/2017-PP(BE-II) दिनांक 16.09.2020 के अनुसार है।
16. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सार्वजनिक खरीद प्रभाग) के आदेश संख्या FNo. 6/18/2019-PPD दिनांक 23/07/2020 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर, भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता के लिए पंजीकरण की आवश्यकता लागू होगी। यह सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 144(xi) के तहत प्रतिबंधों से संबंधित है। बोलीदाता को इस संबंध में कंपनी के लेटरहेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की हुई प्रति जमा करनी होगी। (अनुलग्नक- LBS)।

बिड 202
1.3.26

सहायक महाप्रबंधक (अभि - विद्युत)
(बिड प्रबंधक)

सहायक महाप्रबंधक (अभि-वि)/Asst. Gen. Manager (Engg.-E)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
ए. वि. नं. आई अहड M.B.B. Airport
आगर्तला / Agartala - 799009